



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229011
CG-DL-E-14082021-229011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3052]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943

No. 3052]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3294(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3421(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2020, भारत के राजपत्र सं. 3042, दिनांक 30 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में “कांडला-गोरखपुर पाइपलाइन पारियोजना” के अंतर्गत तालुका घोघंवा, जिला पंचमहाल में पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन हेतु आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई०एच०बी० प्राइवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात			
तालुका	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे०	वर्ग मीटर
घोघंवा	रींछवाणी	107	00	07	16
		113	00	00	20
		112	00	09	37
		108	00	02	10
		111	00	01	81
		110	00	07	04
		109	00	00	72
		123	00	09	15
		124	00	00	91
		125	00	07	81
		139	00	06	49
		138	00	11	21
		137	00	00	63
		136	00	11	63
		135	00	06	60
		131	00	01	69
		133	00	03	17
		132	00	03	95
		98	00	07	89
		97	00	04	09
		164	00	06	65
		96	00	04	82
		166	00	00	20
		95	00	09	50
		167	00	00	20

जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात			
तालुका	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे०	वर्ग मीटर
		94	00	19	75
		90	00	02	92
		86	00	07	72
		87	00	09	57
		88	00	11	40
		78	00	22	62
		594	00	02	32
		285	00	08	55
		286	00	00	20
		303	00	04	38
		306	00	05	24
		307	00	03	98
		302	00	11	01
		301	00	08	69
		330	00	04	84
		331	00	12	05
		332	00	27	45
		343	00	11	76
		342	00	03	20
		341	00	01	31
		335	00	06	70
		337	00	15	75
		336	00	13	85
		428	00	00	22
		429	00	03	45
		430	00	02	85
		431	00	08	50
		432	00	06	54
		434	00	05	56
		436	00	01	12
		435	00	10	64
		437	00	04	45
		439	00	16	41
		440	00	00	94
		452	00	06	74

जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात			
तालुका	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे०	वर्ग मीटर
		451	00	08	57
		453	00	00	20
		454	00	00	20
		476	00	10	12
		477	00	00	20
		475	00	08	57
		474	00	00	20
		478	00	09	61
		403	00	00	52
घोघंबा	खिलोड़ी	241	00	00	20
		242	00	00	20
		248	00	02	85
		249	00	07	73
		250	00	08	30
		254	00	11	56
		253	00	11	47
		252	00	02	56
		267	00	05	44
		266	00	05	36
		265	00	06	17
		262	00	24	13

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3294(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3421(E), dated 28 September, 2020, published in the Gazette of the India No-3042 dated 30 September, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur Pipeline Project” for the transportation of LPG in tehsil Ghoghamba, District Panchmahal in the state of Gujarat by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 05 November, 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Panchmahal		State : Gujarat			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
Ghoghamba	Rinchhwani	107	00	07	16
		113	00	00	20
		112	00	09	37
		108	00	02	10
		111	00	01	81
		110	00	07	04
		109	00	00	72
		123	00	09	15
		124	00	00	91
		125	00	07	81
		139	00	06	49
		138	00	11	21
		137	00	00	63
		136	00	11	63
		135	00	06	60
		131	00	01	69
		133	00	03	17
		132	00	03	95
		98	00	07	89
		97	00	04	09
		164	00	06	65
		96	00	04	82
		166	00	00	20
		95	00	09	50
		167	00	00	20
		94	00	19	75
		90	00	02	92
		86	00	07	72
		87	00	09	57
		88	00	11	40
		78	00	22	62
		594	00	02	32
		285	00	08	55
		286	00	00	20
		303	00	04	38
		306	00	05	24
		307	00	03	98
		302	00	11	01
		301	00	08	69
		330	00	04	84
		331	00	12	05

District : Panchmahal		State : Gujarat			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
		332	00	27	45
		343	00	11	76
		342	00	03	20
		341	00	01	31
		335	00	06	70
		337	00	15	75
		336	00	13	85
		428	00	00	22
		429	00	03	45
		430	00	02	85
		431	00	08	50
		432	00	06	54
		434	00	05	56
		436	00	01	12
		435	00	10	64
		437	00	04	45
		439	00	16	41
		440	00	00	94
		452	00	06	74
		451	00	08	57
		453	00	00	20
		454	00	00	20
		476	00	10	12
		477	00	00	20
		475	00	08	57
		474	00	00	20
		478	00	09	61
		403	00	00	52
Ghoghamba	Khilodi	241	00	00	20
		242	00	00	20
		248	00	02	85
		249	00	07	73
		250	00	08	30
		254	00	11	56
		253	00	11	47
		252	00	02	56
		267	00	05	44
		266	00	05	36
		265	00	06	17
		262	00	24	13

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.